(46)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2477–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–4–2013 पारित द्वारा तहसीलदार रघुराजनगर जिला सतना प्रकरण कमांक 20/अ–12/2012–13.

1. संतोष कुमार तिवारी तनय
   श्री बाल्मीक प्रसाद तिवारी
   निवासी सिद्धार्थ नगर वार्ड कं9,
   सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना
2. मणिराज सिंह तनय स्व0 भगवानदीन सिंह
   निवासी हाल चाणक्यपुरी सिंधी कैम्प रोड़,
   सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना
3. रामभगत मिश्रा तनय बल्देव प्रसाद मिश्रा
   निवासी हाल स्वामी चौराहा मुक्तियारगंज सतना
   तहसील रघुराजनगर जिला सतना

———आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती सुमन द्विवेदी पत्नी श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी
   निवासी ग्राम बदखर तहसील रघुराजनगर जिला सतना
2. श्रीमी अनुराधा मिश्रा पत्नी श्री सन्तोष कुमार मिश्रा
   निवासी ग्राम बदखर तहसील रघुराजनगर जिला सतना
3. श्री बैकुण्ठ प्रसाद चतुर्वेदी तनय श्री रामगोपाल चतुर्वेदी
   निवासी ग्राम बिरहुली तहसील रघुराजनगर जिला सतना
4. मध्यप्रदेश शासन

———अनावेदकगण

– – – – – –

श्री अनिल तिवारी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री रामनरेश मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदक कं. 1
श्री विजय कुमार द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2 व 3

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 23/12/16 2016)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार रघुराजनगर जिला सतना के आदेश दिनांक 03–4–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 ने तहसीलदार रघुराजनगर के समक्ष ग्राम बदखर स्थित भूमि सर्वे कमांक 39/1क/2/1 रकवा 0.23 1/4 ए0 के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कर सीमावर्ती कृषकों को सूचना देकर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन करने के निर्देश दिये। तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा आपत्ति पेश की गई जिसे तहसीलदार ने आदेश दिनांक 03–4–13 के द्वारा निरस्त कर राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन की पुष्टि की। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का सरहदी कास्तकार है परन्तु सरहदी कास्तकारों को बिना सूचना दिये सीमांकन कार्यवाही करने में अवैधानिकता की गई है। आवेदक द्वारा सीमांकन पर आपत्ति प्रस्तुत की गई, परन्तु उसकी आपत्ति निरस्त कर सीमांकन आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि अनावेदक ने रजिस्टर्ड विकय पत्र के द्वारा कय की भूमि का नामांतरण कराने के उपरांत तहसीलदार से सीमांकन कराया है। आवेदक द्वारा स्थल पंचनामा

पर हस्ताक्षर करने के इंकार किया गया था। यह भी तर्क किया कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की आपत्ति निराकरण कर निरस्त की गई है। तर्क में यह भी कहा इस न्यायालय में निगरानी के साथ प्रस्तुत वकालतनामा पर सभी आवेदकों के हस्ताक्षर नहीं होने से इसी आधार पर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी आधारहीन होने से निरस्ती योग्य है।

5/ अनावेदक कमांक 2 एवं 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि तहसीलदार के समक्ष अपने स्वत्व की भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसपर तहसीलदार ने विधिवत प्रकिया अपनाकर सीमांकन आदेश पारित किया। यह भी तर्क किया कि आवेदक की आपत्ति का विधिवत निराकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख में संलग्न राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन की कार्यवाही में सीमावर्ती कृषकों को जारी सूचना पत्र में आवेदक संतोष कुमार के हस्ताक्षर नहीं है। अतः यह मान्य नहीं किया जा सकता कि आवेदक संतोष कुमार को सूचना प्राप्त हो गई थी। स्थल पंचनामा पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर करने के इंकार संबंधी लेख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति का सकारण एवं तथ्यपूर्ण निराकरण न करते हुये मानमाना निकालते हुये आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में त्रुटि की है। आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से भूमि कय की है तथा आवेदक प्रकरण में हितबद्ध सरहदी कास्ताकार है इसलिए उसे बिना सूचना दिये तथा आवेदक की आपत्ति का विधिवत निराकरण न करते हुये किया गया सीमांकन को उचित नहीं माना जा सकता।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार रघुराजनगर का आदेश दिनांक 17–1–14 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार रघुराजनगर को सभी सरहदी कास्तकारों को सूचना देने के उपरांत विधिवत सीमांकन कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर